राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
केम्वे गोल्फ के सामने, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर

दिनांक 05-07-2016

क्रमांक 620

खुली निविदा सूचना संख्या –4/2016–17

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों के लिये निम्न सामग्री / सेवा के लियें मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	आवासियों हेतु दोनो समय,खाना,नाश्ता,चाय आदि बनाने के कार्य ।	एक वर्ष	1000000/–	20000/–	21.07.2016 को साय 4:00 बजे तक	22.07.2016 को 1.00 बजे तक	22.07.2016 का 2.00 PM

निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट
निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय समय मे कार्यालय में देखा जा सकता है।
निविदा प्रपत्र 400/– नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 21.07.2016 को 4.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः–1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइड से डाउन लोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र का भुगतान किसी भी शिड्यूल बैंक द्वारा जारी किया गया डि.ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैंक द्वारा जो कि अधीक्षक मानसिक विमंदित गृह जामडोली जयपुर के पक्ष में देय हो।

अधीक्षक
मानसिक विमन्दित महिला गृह

दिनांक 05-07-2016

क्रमांक 621-626

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां और उससे अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन
3. ACP सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वबसाईड sje.rajasthan.gov.in ,अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. सूचना सहायक निदेशालय विशेष योग्यन जयपुर को sppp.rajasthan.gov.in पर अप लोड करवायें।
5. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय SJE/SAP
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड

अधीक्षक
मानसिक विमन्दित महिला एव
बाल कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन जामडोली, जयपुर
कोड न. 11 23739

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, केम्वे गोल्फ के सामने, जामडोली, जयपुर
निविदा प्रपत्र – तकनीकी बिड (स्टेज–I)

1. विषयः खाना, नाश्ता चाय आदि बनाने के कार्य का ठेका बाबत।
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता...

....

....
3. निविदा फर्म / संवेदक का फोन एवं मोबाईल नं...
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक–4/2016–17 दिनांक ....
5. निविदा शुल्क की राशि 400/– अक्षरे चार सौ मात्र (रसीद संख्या)/ डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर..................
.........दिनांक.......... ....के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 4/2016–17 दिनांक.......................में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. संलग्न प्रमाण पत्रो का विवरण (तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने है)

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या ना	जरी होने की तिथि / वैधता / बैंक का विवरण
1.	बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) का विवरण		
2	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र(निविदा शर्त 6 के अनुसार)		
3	श्रम विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र		
4	सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र		
5	वित्तीय क्षमता संबंधित प्रमाण पत्र (निविदा शर्त 8 के अनुसार)		
6	परिशिष्ठ–द' घोषणा पत्र		

7 आयकर खाता संख्या...
8. अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

....

....

....

9. हम सम्पुष्टि करते है कि हमारे द्वारा प्राईस बिड प्रस्तुत कर दी गई है

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

नोटः–1. उपरोक्त सारणी में दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नही, उसके आगे हॉ या नही उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए। इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. परिशिष्ठ 'अ' तकनिकी बिड है इसके साथ समस्त प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने है।

3. परिशिष्ठ "ब" प्राईस बिड है, वह तकनिकी निविदा में सफल/ योग्य निविदादाताओं की ही खोली जावेगी।

4. इसमें सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना निविदादाताओं को उनके मोबाईल पर दे दी जायेगीं।

5. प्राईस बिड के साथ कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नही किये जायें

6. तकनीकी बिड, प्राईस बिड, दोनो को पृथक–पथक लिफाफे मे मोहर बन्द करके एक बडे लिफाफे मे बन्द किया जाये। तथा उस बडे लिफाफे पर " खाना, नाश्ता,चाय आदि बनाने के कार्य की निविदा लिखा जाये साथ ही तकनीकी बिड एव प्राईस बिड जैसा भी लिफाफा हो तदानुसार अंकित किया जावे एव फर्म का नाम भी लिखा जायें। उक्त लिफाफा कार्यालय में दिनांक 22..07.2016 को 1:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना है। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, केम्वे गोल्फ के सामने, जामडोली, जयपुर
निविदा प्रपत्र – प्राइस बिड (स्टेज–II)

1. विषयः खाना, नाश्ता,चाय आदि बनाने के कार्य का ठेका बाबत।
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता...
3. निविदा फर्म / संवेदक का फोन एवं मोबाईल नं...
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक–.4/2016–17 दिनांक ....
5. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना सख्या 4/2016–17 दिनांक में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. आवासीयों के खाना, नाश्ता,चाय आदि बनाने के कार्य का ठेका बाबत। हमारी दर निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विवि
1.	आवासियों हेतु दोनो समय खाना,चाय,नाश्ता आदि बनाने का कार्य (मय गैस सलेण्डर की लागत गैस भट्टी, आदि की मरम्ममत एवं रखरखाव, एंव बर्तन आदि की सफाई एवं समस्त सामग्री सहित	(मय समस्त करों एंव आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित) रूपये अक्षरें..	

7. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।
8. उपर अंकित की गयी दरें एक वर्ष के लिये मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
9. दरे शब्दो एवं अंको में दोनो रूप मे लिखि जावें। दरो मे काई त्रुटि एवं ऑवर राईटिंग नही की जावें।
10. यह प्राईस बिड है जो योग्य निविदादाता की ही खोली जायेगी। इसके साथ कुछ भी संलग्न नही किया जायें।
11. इस प्राईस बिड को पृथक लिफाफें मे बन्द किया जाना है इसके साथ अन्य कोई दस्तावेज/डी.डी./बैंक ड्राफ्ट इत्यादि संलग्न नही करें। इस पर प्राईस बिड एवं निविदादाता का नाम एवं पता अंकित हो। इस लिफाफे को तकनीकी बिड के लिफाफे के साथ एक बडे लिफाफे में रख कर प्रस्तुत किया जाना है।
12. प्राईस बिड को भरते समय परिशिष्ठ अ,ब,स,एवं द की शर्तो को ध्यान में रखें किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी:– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

1. निविदा भरने की प्रक्रिया:– निविदा दो स्टेज की है जिसमें दो परिशिष्ठ अ एव ब भरे जाने है। इन्हे निविदा की विस्तृत शर्तो के अनुसार भरी जावें।
2. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये तथा लिफाफे पर "विमंदित महिलाओं एवं बालकों के लिये खाना, चाय नाश्ता बनाना आदि कार्य के लिये निविदा" अंकित करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनो में लिखी जानी चाहिये। **निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।** शब्दो एवं अंको में अंकित दर में अन्तर होने पर शब्दो में अंकित दर को अधिकृत मानकर गणना में शामिल किया जायेगा। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावे।
4. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. निविदादाता को अनुमानित लागत राशि रू **1000000/–** का 2 प्रतिशत राशि रू. **20000/–** बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) बैंक ड्रापट/बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।
6. **फर्म को किसी छात्रावास या चिकित्सालय या अन्य आवासीय संस्था में खाना बनाने या केन्टीन के कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसके क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।**
7. **आयकर स्थायी खाता संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की तथा सर्विस टैक्स के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।** उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
8. **निविदादाता फर्म का खाना बनाने संबंधित क्षैत्र में गत 1 वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम दस लाख रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टेड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र (जिसमें राशि का उल्लेख हो) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।**
9. निविदादाता द्वारा फर्म आदि के गठन के किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म मे तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
10. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।
12. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
13. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि **20000/–**(अक्षरे बीस हजार मात्र) दिनांक **22.07.2016** को 1:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये तकनीकी निविदाये उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक **22.07.2016** को 2:00 बजे खोली जावेगी ।

14 असफल निविदादाताओ को बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

15. बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि का समपहरण:– बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगा:–

I जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

Ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

Iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

Iv जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो।

V यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम और नियमो के अध्याय –6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है

16. . करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के नाम देंय होगी।

v प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:–

(क) बैक ड्राफट /बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

Vi करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस॰ पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त नि:शुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vii प्रतिभूति राशि, ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया/वसूली नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

17 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :–

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

19 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

20. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे।

21. भुगतानः–भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

22. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

23. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

24. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाण्ति प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर,मोबाईल न.

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

25. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

27. संस्था में आवासियों की खाने के कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। खाना बनाने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नही होने चाहिए तथा पूर्ण स्वस्थ हो। भोजन कर्मचारी प्रातः 6:00 बजे से संस्था में उपस्थित होगें एवं सायं आवासियों के द्वारा खाना खाने के बाद जावेगे।आवश्यकतानुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठेकेदार को चाय, नाश्ता प्रातः 7:00 बजे से 8:00 बजे तक, सुबह का भोजन 11:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं सांय काल का नाश्ता 4:00 से 5:00 बजे रात्रि भोजन 7:00 बजे से 8:00 बजे तक तैयार कर आवासियों का परोसना होगा।

28. खाना, नाश्ता आदि निर्धारित समय पर तैयार कर उपलब्ध करवाने होगें। निर्धारित समय के विलम्ब पर निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगीः–

अ–निर्धारित समय से 1/2 घन्टा विलंब के लिये	2.5 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर
ब– निर्धारित समय से 1 घन्टा विलंब के लिये	5 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर
स– निर्धारित समय से 1 1/2 घन्टा विलंब के लिये	7..5 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर
द– निर्धारित समय से 2 घन्टे विलंब के लिये	10 प्रतिशत	एक दिन की राशि पर

29. खाना, चाय नाश्ता आदि बनाने की दरे मय उपयोग में ली जाने वाली(खाना बनाने के समस्त बर्तन,गैस भटटी इत्यादि ठेकेदार के ही होगें) गैस की लागत,गैस भटटी एवं फिटिंग की मरम्मत–रखरखाव, बर्तन आदि एवं उनको साफ करने की समस्त सामग्री एवं अन्य समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारो सहित प्रस्तुत की जावेगी।खाना बनाने व परोसने हेतु प्लास्टिक अथवा अन्य कोई भी अस्वास्थ्यप्रद बर्तनो का प्रयोग नही किया जायेगा।

30. ठेकेदार को भोजन एवं नाश्ता बनाने हेतु आदेशानुसार महिला एवं पुरूष कर्मचारी रखने होगें। लगभग 200 आवासियों हेतु दोनो समय रोटी,दाल सब्जी, चाय, नाश्ता, खाने के बर्तनों की सफाई

एवं भोजन नाश्ता परोसना आदि कार्य करने होगें। बीमार आवासियों हेतु चिकित्सक की सलाह अनुसार भोजन (यथा खिचडी, दलिया, अण्डे उबालना छिलना इत्यादि) बना कर उपलब्ध कराना होगा।

31. ठेकेदार को रसोई कक्ष में पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।रसोई मे कार्य करने वाले कार्मिको हेतु हाथ धोने हेतु हैण्डवाश की सामग्री तथा सिर व हाथों के लिये क्रमशः कैप एवं ग्लबस की व्यवस्था अपने स्तर पर करवा कर माहं के प्रारम्भ में ही कार्यालय मे जमा करानी होगी।

32. भोजन की व्यवस्था के लिये अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।

33. समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसोई की सफाई एवं कचरे को उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी। आवासियों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में यदि अस्पताल में निःशुल्क खाने की व्यवस्था उपलब्ध नही होती है तो संवेदक को अस्पताल मे आवासी के लिये चाय/नाश्ता/खाना पहुचाने की व्यवस्था करानी होगी।

34. भोजन कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी को किसी भी रूप से शारीरिक क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एव उसके लिय मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

35. फर्म/संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा।

36. न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की होगी। तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मागें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

37. ठेके की अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हडताल की जाती है। और फर्म/संवेदक इस अवधि में खाना बनाने का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर भोजन बनाने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। लाभ की स्थिति में संवेदक का कोई अधिकार नही होगा।

38. भोजन कर्मचारियो की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी /कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व भोजन कर्मचारियों के निवास स्थान/स्थायी पते का पूर्ण विवरण(आई.डी.सहित) उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र एवं फोटो उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नही दिया जायेगा।

39. भोजन कर्मचारियों को अधीक्षक के आदेशानुसार निर्धारित रंग का एवं संवेदक फर्म का नाम लिखा हुआ एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा। एप्रिन फर्म को उपलब्ध कराना होगा।

40. अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर **500/-** की कटौती एक बार में की जावेगी।

41. अधीक्षक के आदेश पर कुक बदलने होगें, यदि किसी कुक से कोई लापरवाही होती है तो फर्म / संवेदक उसका पूर्ण जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्ते, मैनें पढ़ ली है, ओर स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

परिशिष्ठ–द

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों सामानो/उपकरणों/सेवाओं/के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मै बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेण्ट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता